

प्रारूप-एक

(नियम 11 देखिये)

कार्यालय कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन
विभाग, जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा(छ0ग0)

//अधिसूचना //

क्रमांक/५८५२/भू-अर्जन/२०१९

दन्तेवाड़ा, दिनांक: ०५/०५/२०१९


भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, २०१३ की धारा ४ सहपठित नियम ७ के अन्तर्गत नीचे अनुसूची में उल्लेखित भूमि का अर्जन लोक प्रयोजन हेतु राज्य सरकार द्वारा आशयित है :-

जिला	तहसील	ग्राम/नगर	क्षेत्रफल	लोक प्रयोजन का विवरण
१	२	३	४	५
दन्तेवाड़ा	दन्तेवाड़ा	उदेला ग्राम पंचायत-मोलसनार	२२.४१ हेक्ट.	सिंचाई जलाशय निर्माण

उपरोक्त उल्लिखित भूमि के अर्जन हेतु सामाजिक समाघात निर्धारण के अध्ययन हेतु जन सुनवाई दिनांक २०/०५/२०१९ को प्रातः ११:०० बजे कार्यालय ग्राम पंचायत-मोलसनार में नियत की गई है। प्रस्तावित भूमि अर्जन का अन्य विवरण निम्नानुसार है :-

१	लोक प्रयोजन का संक्षिप्त विवरण	:	उदेला जलाशय
२	प्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:	१९ भूमिस्वामी
३	अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित परिवारों की संख्या	:	निरंक
४	प्रभावित क्षेत्र में निजी मकानों तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:	निरंक
५	प्रभावित क्षेत्र में शासकीय मकान तथा अन्य परिसम्पत्तियों की अनुमानित संख्या	:	निरंक
६	क्या प्रस्तावित अर्जन न्यूनतम है ?	:	हाँ
७	क्या संभव विकल्पों और इसकी साध्यता पर विचार कर लिया गया है ?	:	हाँ
८	परियोजना की कुल लागत	:	४७०.९१ (लाख में)
९	परियोजना से होने वाला लाभ	:	सिंचाई
१०	प्रस्तावित सामाजिक समाघात की प्रतिपूर्ति के लिये उपाय तथा उस पर होने वाला संभावित व्यय	:	रु ५.०० लाख भू-अर्जन शाखा में जमा किया गया है।
११	परियोजना द्वारा प्रभावित होने वाले अन्य घटक	:	निरंक

उपरोक्त भूमि अर्जन के संबंध में किसी व्यक्ति/संस्था या अन्य किसी व्यक्ति को कोई जानकारी/सुझाव देना हो, तो विहित तिथि/समय एवं स्थान पर दी जा सकेगी।


(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर

दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा

एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग

1. सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, अटल नगर जिला-रायपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
2. आयुक्त, बस्तर संभाग, जगदलपुर की ओर सादर सूचनार्थ।
3. नियंत्रक, शासकीय मुद्रणालय, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव को छत्तीसगढ़ राजपत्र भाग-1 में प्रकाशनार्थ अग्रेषित।
4. अनुविभागीय अधिकारी(राजस्व) एवं भू-अर्जन अधिकारी, दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित।
5. कार्यपालन अभियंता, जल संसाधन संभाग, दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ। इस अधिसूचना का प्रकाशन दो स्थानीय समाचार पत्रों एवं छ0ग0 के राजपत्र में कराते हुये उसकी एक प्रति इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की व्यवस्था करें।
6. डी.आई.ओ.(एन.आई.सी.), दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ। आप इस अधिसूचना को छ.ग. शासन, राजस्व एवं आपदा प्रशासन विभाग एवं जिला-दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा की वेबसाईट पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।
7. तहसीलदार, दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रेषित। सामाजिक समाघात अध्ययन दल के सदस्यों को इस अधिसूचना की प्रति उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। इस अधिसूचना का प्रकाशन अनुविभाग कार्यालय, तहसीलदार कार्यालय, नगर पंचायत कार्यालय, संबंधित ग्रात पंचायत कार्यालय में कराया जाना सुनिश्चित करेंगे तथा प्रकाशन पश्चात उसकी प्रति भू-अर्जन अधिकारी को प्रस्तुत करेंगे। साथ ही प्रभावित क्षेत्र में ऐसी रीति से जो विहित हो अथवा मुनादी कराया जा कर रिपोर्ट भू-अर्जन अधिकारी को दी जावे। यह भी आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 की धारा 11 की कंडिका (4) एवं कंडिका (5) के उपबंधों का पालन सुनिश्चित करते हुये यथाविहित भूमि अभिलेखों को अद्यतन करने की कार्यवाही समयसीमा में पूर्ण की जावे।
8. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत-दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
9. सरपंच, ग्राम पंचायत-मोलसनार, जनपद पंचायत-दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ
10. सचिव, ग्राम पंचायत-मोलसनार, जनपद पंचायत-दन्तेवाड़ा को सूचनार्थ। इस अधिसूचना का प्रकाशन ग्राम पंचायत के सूचना पटल में कराना सुनिश्चित करें। आपको यह भी आदेशित किया जाता है कि भूमि अर्जन, पुनर्वासन और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम 2013 धारा 11 की कंडिका 4 के अनुसार "कोई व्यक्ति ऐसी अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से इस अधिनियम के अधीन कार्यवाहियों के पूरा हो जाने के समय प्रारंभिक अधिसूचना में निविर्दिष्ट भूमि का कोई संव्यवहार नहीं करेगा या कोई संव्यवहार नहीं करायेगा अथवा ऐसी भूमि पर कोई विल्लंगम सृजित नहीं करेगा।" का पालन एवं सर्व संबंधित को मुनादी के माध्यम से सूचित कराया जाना सुनिश्चित करें।
11. सर्व संबंधित श्री/श्रीमती.....
की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

(टोपेश्वर वर्मा)

कलेक्टर

दक्षिण बस्तर, दन्तेवाड़ा
एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन
राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग